| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र 02, शुक्रवार, *शाके* 1946-मार्च 22, 2024<br>*Chaitra 02, Friday , Saka 1946- March 22 , 2024* | |


**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**वन विभाग**

विज्ञप्ति

**जयपुर, फरवरी 22, 2024**

**संख्या प. 2(8)वन/2024 :-**चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उनके किसी अंश की स्वत्वधारी (**Entitled**) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (**Protected Forest**) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा अथवा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार के लेखबद्व नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्व किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका है

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्व करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली से किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (**Proviso**) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (**Protected Forest**) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनु सूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (**Reserved**) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उनसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया

जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

**राज्यपाल की आज्ञा से,**
मोनाली सेन,
**विशिष्ट शासन सचिव,**
**वन विभाग,**
**राजस्थान सरकार, जयपुर।**

प्रथम अनुसूची

| क्र. सं | नाम ब्लॉक | नाम तहसील | नाम जिला | सीमा | ग्राम | खसरा नं. | रकबा (है0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | घोडास | माण्डल | भीलवाडा | उत्तर- आराजी नं. 1 एवं 2 | घोडास | 120 | 0.7967 |
| | | | | | | 121 | 1.0117 |
| | | | | पूर्व- नाला | | 122 | 1.0117 |
| | | | | दक्षिण- आराजी नं. 218 व 219 | | 123 | 0.8600 |
| | | | | | | 136 | 0.0126 |
| | | | | पश्चिम- आराजी नं. 38 व 39 | | 138 | 1.0244 |
| | | | | | | 139 | 1.0117 |
| | | | | | | 140 | 0.4932 |
| | | | | | | 141 | 1.0623 |
| | | | | | | 142 | 1.0117 |
| | | | | | | 143 | 0.0126 |
| | | | | | | 144 | 0.8979 |
| | | | | | | 145 | 0.0126 |
| | | | | | | 146 | 0.0126 |
| | | | | | | 147 | 1.0623 |
| | | | | | | 148 | 0.4426 |
| | | | | | | 149 | 0.0759 |
| | | | | | | 150 | 0.4679 |
| | | | | | | 151 | 0.1138 |
| | | | | | | 152 | 0.2529 |
| | | | | | | 153 | 0.0126 |
| | | | | | | 154 | 0.9105 |
| | | | | | | 155 | 0.0632 |
| | | | | | | 156 | 0.8726 |
| | | | | | | 157 | 2.1752 |
| | | | | | | 158 | 1.0117 |
| | | | | | | 159 | 0.7714 |
| | | | | | | 160 | 1.0497 |
| | | | | | | 161 | 1.0117 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 162 | 1.8211 |
| | | | | | | 163 | 1.2267 |
| | | | | | | 164 | 0.2150 |
| | | | | | | 165 | 0.3794 |
| | | | | | | 166 | 0.3541 |
| | | | | | | 167 | 0.0253 |
| | | | | | | 168 | 0.0126 |
| | | | | | | 169 | 0.0126 |
| | | | | | | 170 | 0.0632 |
| | | | | | | 171 | 0.2150 |
| | | | | | | 172 | 2.2131 |
| | | | | | | 173 | 0.9105 |
| | | | | | | 174 | 0.9105 |
| | | | | | | 175 | 1.0117 |
| | | | | | | 220 | 1.0749 |
| | | | | | | 221 | 1.0117 |
| | | | | | | 222 | 0.5944 |
| | | | | | | 238 | 0.6956 |
| | | | | | | 2388/19 | 1.0117 |
| | | | | | | 2389/30 | 0.1897 |
| | | | | | | 2390/38 | 0.6956 |
| | | | | | | 2391/39 | 0.5691 |
| | | | | | | 2392/119 | 0.7714 |
| | | | | | | 2393/118 | 0.3794 |
| | | | | | | 2394/124 | 0.2150 |
| | | | | | | 2395/137 | 0.5059 |
| | | | | | | 2396/243 | 1.4290 |
| | | | | | | 2397/237 | 0.7588 |
| | | | | | | 2398/236 | 0.3162 |
| | | | | | | 2399/223 | 0.0759 |
| | | | | | | 2400/218 | 0.7588 |
| | | | | | | 2401/219 | 0.5817 |
| | | | | | | 2402/177 | 1.0117 |
| | | | | | | 2403/176 | 1.0117 |
| | | | | | | 31 | 1.0117 |
| | | | | | | 32 | 0.9991 |
| | | | | | | 33 | 0.6070 |
| | | | | | | 34 | 0.9738 |
| | | | | | | 35 | 0.9232 |
| | | | | | | 36 | 0.5438 |
| | | | | | | 37 | 1.0117 |
| | | | | | वनखण्ड का योग | किता-70 | 48.6250 |

क्षेत्रीय वन अधिकारी

उप वन संरक्षक

भीलवाडा भीलवाडा

वनखण्ड घोडास

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

| क्र.सं. | वानस्पतिक नाम | हिन्दी नाम |
|---|---|---|
| 1 | *Acacia Leucophloea* | रोंझ |
| 2 | *Acacia nilotica* | देशी बबूल |
| 3 | *Azadirachta indica.* | नीम |
| 4 | *Dalbergia sissoo, Roxb* | शीशम |
| 5 | *Zizyphus nummularia* | झड़ बेरी |
| 6 | *Prosopis Juliflora* | विलायती बबूल |

क्षेत्रीय वन अधिकारी उप वन संरक्षक

भीलवाडा भीलवाडा

प्रमाण पत्र

वनखण्ड - घोडास

रेंज - भीलवाडा

वन मंडल- भीलवाडा

1 प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में गेमु.आचा,बंजड़/गैर मुमकिन खान/गैर मुमकिन चाह/गैर मुमकिन खड्डा/गेमु, रास्ता वन विभाग के नाम से दर्ज है तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमलदरामद है।

2 विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण व खनन कार्य नही हो रहा है।

3 प्रस्तावित वन क्षेत्रो में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है, जिस पर वृक्षारोपण स्थापित किया गया है एवं यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।

4 प्रस्तावित भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.10 से 0.20 तक का है एवं इन क्षेत्रो में मुख्य रांझ, देशी बबूल, झड बेरी, नीम, विलायती बबूल एवं मिश्रित प्रजातियों के पेड एवं झाडिया है।

5 प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वनविभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक है एव इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रो के संरक्षण में कोई अवरोध नही होगा। विभागाधीन भूमियो का विकास कार्यो मे उपयोग हो रहा है।

6 प्रस्तावित क्षेत्र में खसरा नं.51, 245 क्रमशः गैमु. रास्ता बिलानाम भूमि दर्ज है उक्त भूमि का रकबा वनखण्ड में सम्मिलित नहीं है।

7 प्रस्तावित भूमियो का मानचित्र संलग्न है। संलग्न मानचित्र में कुछ खसरे अत्यधिक छोटे होने जैसे गे.मु.खड्डा, गे.मु. आंचा को नक्शे में अलग से दर्शाये गये हैं।

8 पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात नये प्रस्ताव बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।

9 इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र मे प्रकाशन नही हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
भीलवाडा

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**